

महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल
Office of the Accountant General (Audit II), Kerala

प्रेस ब्रीफ
Press Brief

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए राज्य के राजस्व - केरल सरकार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, (2026 की रिपोर्ट संख्या 2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार दि. 23 जून 2026 को केरल विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Revenues for the period ended March 2024, Government of Kerala (Report No.2 of 2026) has been laid on the table of the Kerala Legislature on **23 June 2026** in accordance with Article 151(2) of the Constitution of India.

रिपोर्ट में राजस्व क्षेत्र के तहत वाहनों पर कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क और कृषि आय कर सहित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में ₹603.53 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव से युक्त दो विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षाएं (एसएससीए) सहित 11 पैराग्राफ शामिल हैं।

The Report covers Audit Observations under Revenue Sector including Taxes on Vehicles, Excise duty, Stamp duty and Registration fees and Agricultural Income Tax. The Report contains 11 paragraphs including two Subject Specific Compliance Audits (SSCA) involving revenue impact of ₹603.53 crore.

रिपोर्ट में उजागर महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश नीचे दिया गया है:

The summary of important points highlighted in the Report is given below:

सामान्य
General

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1,24,486.15 करोड़ थीं, जिसमें राज्य का अपना राजस्व ₹90,674.97 करोड़ (73 प्रतिशत) और भारत सरकार (GoI) से प्राप्तियां ₹33,811.18 करोड़ (27 प्रतिशत) शामिल हैं।

The total revenue receipts of the State Government for the year 2023-24 amounted to ₹1,24,486.15 crore, consists of State's own revenue of ₹90,674.97 crore (73 *per cent*) and receipts from Government of India (GoI) of ₹33,811.18 crore (27 *per cent*).

(पैराग्राफ/Paragraph 1.1.1)

कुछ मुख्य शीर्षों के तहत राजस्व का बकाया ₹30,308.52 करोड़ था, जो राज्य के कुल राजस्व का 24.35 प्रतिशत था।

Arrears of revenue under some principal heads amounted to ₹30,308.52 crore, which represented 24.35 *per cent* of the total revenue of the State.

(पैराग्राफ/ Paragraph 1.2)

जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार, दिसंबर 2023 तक जारी 2,461 निरीक्षण रैपोर्टों में शामिल ₹4,978.61 करोड़ के 15,021 पैराग्राफ बकाया रहे।

As of June 2024, 15,021 paragraphs involving ₹4,978.61 crore, contained in 2,461 Inspection Reports issued up to December 2023, remained outstanding.

(पैराग्राफ/ Paragraph 1.7)

**वाहनों पर कर
Taxes on Vehicles**

**‘केरल के मोटर वाहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और राज्य परिवहन प्राधिकरण की कार्यपद्धति’।
‘Functioning of Regional Transport Offices and State Transport Authority in the Motor Vehicles Department of Kerala’.**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (एडीटीटी) और नौ स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) की स्थापना पर ₹37.48 करोड़ खर्च करने के बावजूद, केवल दो एडीटीटी कार्यात्मक हो पाए, जबकि कोई भी एटीएस चालू नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप हस्तचालित प्रक्रियाओं पर निरंतर निर्भरता बनी रही। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि प्रभावी सिस्टम वैलिडेशन के अभाव और स्व-घोषणाओं पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ₹2.57 करोड़ का हरित कर की उगाही नहीं की गयी। VAHAN डेटा के विश्लेषण से पता चला कि पंजीकरण अधिकारियों या प्रवर्तन स्कंध द्वारा कार्रवाई किए बिना, वैधता समाप्त फिटनेस प्रमाण-पत्र (सीएफ) और पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) के साथ 91477 वाहनों का संचालन किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ₹47.69 करोड़ का जुर्माना, नवीनीकरण शुल्क और चक्रवृद्धि शुल्क नहीं वसूला गया। पुलिस विभाग के दुर्घटना डेटा से तुलना करने पर यह भी पता चला कि ऐसी 344 गाड़ियां दुर्घटनाओं में शामिल थीं, जिनमें 32 लोगों की मौत हुई।

Audit observed that despite expenditure of ₹37.48 crore on establishment of nine Automated Driving Test Tracks (ADTTs) and nine Automated Testing Stations (ATSS), only two ADTTs became functional while none of the ATSS were operational, resulting in continued dependence on manual processes. Audit further noticed non-levy of Green Tax of ₹2.57 crore due to absence of effective system validations and overreliance on self-declarations. Analysis of VAHAN data revealed operation of 91,477 vehicles with expired Certificates of Fitness (CF) and Registration Certificates (RC), without action by the Registering Authorities or Enforcement Wing, resulting in non-collection of penalties, renewal fees and compounding fees amounting to ₹47.69 crore. Comparison with the accident data of the Police Department further revealed involvement of 344 such vehicles in accidents causing 32 fatalities.

जीएसटी पोर्टल से डेटा के प्रति सत्यापन पर लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि राज्य में 47 लाइसेंस रहित एग्रीगेटर विद्यमान हैं। चूंकि मोटर वाहन विभाग ने राज्य में एग्रीगेटर लाइसेंस जारी नहीं किया है, एग्रीगेटर पर लागू ₹2.35 करोड़ के शुल्क का गैर-संग्रहण हुआ था।

On cross verification of data from the GST portal, Audit found existence of 47 unlicensed aggregators in the State. As the Motor Vehicles Department has not issued aggregator licenses in the State, there was non-collection of fees applicable to aggregators amounting to ₹2.35 crore.

जीएसटी पोर्टल से प्राप्त डेटा दर्शाता है कि रेंट-ए-कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में 461 एजेंसियां पंजीकृत थीं, केवल नौ रेंट-ए-कैब लाइसेंस राज्य में जारी हुए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹0.23 करोड़ के शुल्क की गैर-वसूली हुई ।

Data retrieved from the GST portal shows there were 461 agencies registered in the State for providing rent-a-cab services, only nine rent-a-cab licences had been issued in the State, resulting in non-realisation of fees amounting to ₹0.23 crore.

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि मोटर वाहन कर का भुगतान करने के बावजूद 1,620 कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज वाहन वैध परमिट के बिना चल रहे थे । प्रवर्तन स्कंध द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान, वैधता समाप्त फिटनेस प्रमाण-पत्र वाले 6,803 परिवहन वाहन और वैधता समाप्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र वाले 30,948 गैर-परिवहन वाहन पकड़े गए थे; तथापि बगैर वैध सीएफ या आरसी के संचालन से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.18 करोड़ के चक्रवृद्धि शुल्क का संग्रहण नहीं किया गया ।

Audit further observed that 1,620 contract carriage and goods carriage vehicles were operating without valid permits despite payment of motor vehicle tax. During inspections conducted by the Enforcement Wing, 6,803 transport vehicles with expired CF and 30,948 non-transport vehicles with expired RC were intercepted; however, offences relating to operation without valid CF or RC were not acted upon, resulting in non-collection of compounding fees of ₹12.18 crore.

(पैराग्राफ/ Paragraph 2.4)

राज्य आबकारी / State Excise

‘केरल में विदेशी शराब का निर्माण और बिक्री’ ।

‘Manufacture and Sale of Foreign Liquor in Kerala’.

तिरुवल्ला की एक डिस्टिलरी में, स्टॉक में ईएनए की कमी से होने वाले राजस्व नुकसान की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विभाग विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.88 करोड़ का राजस्व अप्राप्त रहा । माही में शराब के आयात के लिए जारी पारगमन परमिटों के चेक-पोस्ट रिकॉर्ड के साथ पुनः सत्यापन से पता चला कि 1,10,720 थोक लीटर आईएमएफएल से जुड़े 22 परमिटों के संबंध में निकासी रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे , जो केरल बाजार में संभावित विचलन और परिणामस्वरूप अनुमानित ₹ 5.10 करोड़ राजस्व नुकसान का संकेत देता है । टर्नओवर कर की गणना करते समय बिक्री कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बिक्री कर घटक को शामिल करने में विफलता, कंजीकोड में एक ब्रूअरी को बीयर की बिक्री पर छूट का अनियमित अनुदान, और लागू कर दरों के सत्यापन के बिना रिटर्न की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 19.17 करोड़ के कर की अल्प वसूली/गैर-वसूली हुई ।

In a distillery in Thiruvalla, the department failed to initiate action to recover the revenue loss arising from shortage of ENA in stock, resulting in unrecovered revenue of ₹51.88 crore. Cross-verification of transit permits issued for import of liquor into Mahe with check-post records revealed absence of exit records in respect of 22 permits involving 1,10,720 Bulk Litres of IMFL, indicating possible diversion to the Kerala market and consequent estimated revenue loss of ₹5.10 crore. Failure of Sales Tax Assessing Authorities to include the sales tax component while

computing the turnover tax, irregular grant of exemption on beer sales to a brewery in Kanjikode, and acceptance of returns without verification of applicable tax rates resulted in short levy/ non-levy of tax amounting to ₹19.17 crore.

(पैराग्राफ/ Paragraph 3.4)

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क

Stamp Duty and Registration Fees.

भूमि के उचित मूल्य को अपनाने, मूल सर्वेक्षण में उपलब्ध उचित मूल्य को न अपनाने, भूमि के गलत वर्गीकरण और भूमि के विभाजन में चूक के कारण ₹1.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही ।

Short levy of Stamp duty and Registration fees due to omission of adopting fair value of land, non-adoption of fair value available in the mother survey, misclassification of land and splitting of land amounting to ₹1.61 crore.

(पैराग्राफ/ Paragraph 4.4 to 4.9)

अन्य प्राप्तियां

Other Receipts.

परम्बिकुलम अळियार परियोजना के लिए आबंटित भूमि पर तमिलनाडु सरकार द्वारा संशोधित लाइसेंस शुल्क की गैर उगाही और परिणामस्वरूप वन राजस्व में ₹1.70 करोड़ का घाटा साथ ही पट्टा किराए के गैर-संशोधन के कारण अन्य पट्टेदार से ₹27.40 करोड़ का अल्प - संग्रहण ।

Non-levy of revised Licence fee from Government of Tamil Nadu for land assigned for Parambikkulam Aliyar Project and consequent shortfall in Forest Revenue amounted to ₹1.70 crore, along with a short collection of ₹27.40 crore from another lessee due to non-revision of lease rent.

(पैराग्राफ/ Paragraph 5.1.1 & 5.1.2)

-----X-----X-----X-----